



म.प्र.पाठ्यपुस्तक निगम भण्डार  
(52 महर्षि दयानन्द वार्ड न0-13, सागर )  
डिपो कार्यालय सागर

दूरभाष:- 07582-243536

निविदा प्रपत्र

(शिक्षा सत्र 2017-2018 हेतु परिवहन कार्य)

# विषय सूची

<u>क्रमांक</u>	<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ क्रं०</u>
1.	नियम एवं शर्तें	1 से 9
2.	सत्र 2016-17 में परिवहन कराई गई पुस्तकों का संकेतात्मक विवरण (परिशिष्ट-1)	10 से 12
3.	अनुबंध-प्रारूप (परिशिष्ट- 2)	13
4.	तकनीकी बिड फार्म (प्रपत्र-अ)	14 से 15
5.	म.प्र.शासन/निगम/मण्डल/बोर्ड द्वारा निविदा में भाग लेने से वंचित न करने विषयक घोषणा (परिशिष्ट-3)	16
6.	निकट संबंधी /संबंधियों विषयक घोषणा (परिशिष्ट-4)	17
7.	कामर्शियल बिड फार्म प्रपत्र (ब) (लिफाफा "ब" में रखकर जमा करें)	18 से 22

# शिक्षा सत्र 2017–2018 हेतु परिवहन कार्य की निविदा नियम एवं शर्ते

–0–

1. शिक्षा सत्र 2017–2018 में म0प्र0पाठ्यपुस्तक निगम डिपो कार्यालय सागर द्वारा डिपो से स्थानीय एवं संबन्ध जिला मुख्यालयो , विकासखण्डों एवं प्रदेश के विभिन्न शहरो के लिए पुस्तकों एवं अन्य पाठ्यसामग्री के परिवहन कार्य हेतु मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र, नियम एवं शर्ते किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं समय में डिपो कार्यालय से दिनांक 31.01.2017 को 13.00 बजे तक राशि रू0 570=00 (रूपये पांच सौ सत्तर मात्र) जमा कर प्राप्त की जा सकती है । निगम वेबसाईट [www.mptbc.nic.in](http://www.mptbc.nic.in) से डाऊन लोड कर भी निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में निविदा प्रपत्र की फीस राशि रू0 570=00 (रूपये पांच सौ सत्तर मात्र जिसमें रूपये 70/- वैट टैक्स शामिल है) प्रबंध संचालक, म0 प्र0 पाठ्यपुस्तक निगम, के पक्ष में देय ड्राफ्ट तकनीकी बिड के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी । इच्छुक निविदाकार निर्धारित प्रपत्र में भरकर सील बन्द निविदाएं दो लिफाफा पद्धति से (तकनीकी बिड एवं कमर्शियल बिड क्रमशः "अ" एवं "ब" के अलग-अलग सील बन्द लिफाफे में) दिनांक .... 31.01.2017 को 14.00 बजे तक निगम के डिपो कार्यालय में एक सील बन्द लिफाफे में रखकर जमा कर सकते है । समय सीमा में प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक 31.01.2017 को 14.30 बजे उपस्थित निविदाकारो के समक्ष डिपो कार्यालय में खोली जावेगी। तकनीकी बिड की अर्हता पूर्ण करने वाले निविदाकारो की कामर्शियल बिड खोलने की सूचना डिपो प्रबंधक द्वारा पृथक से दी जाएगी ।

2. लिफाफा "अ" तकनीकी बिड प्रपत्र- 'अ' के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है :-

(क) अर्नेस्ट मनी राशि रू0 25,000=00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र) का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक, म0प्र0पाठ्यपुस्तक निगम के पक्ष में भोपाल में देय हो । ड्राफ्ट के पीछे निविदाकार का नाम एव पता अवश्य लिखें ।

–1–

निविदाकार की निगम में पूर्व से जमा कोई राशि अर्नेस्ट मनी के विरुद्ध मान्य नहीं की जाएगी । जो निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी, उन के साथ संलग्न अर्नेस्ट मनी राशि रु. 25,000=00 निगम द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा,

(ख) निविदा प्रपत्र क्रय की राशि रु. 570=00 (रूपये पांच सौ सत्तर मात्र) (14 प्रतिशत वैट सहित) का बैंक ड्राफ्ट जो प्रबंध संचालक, म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम के नाम एवं भोपाल में देय हो अथवा कार्यालय में नगद जमा की गई राशि की रसीद ।

(ग) आयकर विभाग द्वारा निविदाकार फर्म अथवा फर्म के एकल स्वामी, संस्था के नाम से जारी पेन कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति,

(घ) फर्म के नाम जारी सर्विस टैक्स नम्बर जो कि वर्तमान में वैध हो कि स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति,

(ङ.) सोल प्रोप्रायटरी फर्म की दशा में फर्म या स्वयं के नाम, फर्म या पार्टनरशिप फर्म की दशा में फर्म या भागीदारों के नाम या संस्था के स्वयं के नाम पर न्यूनतम चार ट्रकों का पंजीयन तथा छः ट्रकों का अनुबंध जो निविदा दिनांक को वैध हो इस तरह कुल दस ट्रक होना अनिवार्य । स्वयं के ट्रकों के अतिरिक्त अन्य वाहन स्वामियों से अनुबंध के आधार पर लिये जाने वाले ट्रकों के संबंध में प्रत्येक वाहन स्वामी से 500-500 रूपये के स्टांप पर अलग-अलग अनुबंध निष्पादित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । उक्त अनुबंध निविदा दिनांक से एक वर्ष हेतु वैध होना चाहिए । समस्त ट्रकों के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति, सभी ट्रकों के बीमा, रोड टैक्स प्रमाणपत्र, परिवहन विभाग द्वारा जारी फिटनेस एवं अनुज्ञा प्रमाण पत्र, संबंधी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ ।

(च) निविदाकार फर्म/संस्था के ई.पी.एफ. कार्यालय में वर्तमान में वैध पंजीयन की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

(छ) निविदाकार संस्था के मालिकाना हक के संबंध में दस्तावेज-निविदाकार संस्था/फर्म का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स/रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में पंजीयन अथवा पार्टनरशिप फर्म होने पर पार्टनरशिप डीड अथवा सोल प्रोप्रायटरी फर्म होने पर स्वयं का घोषणा पत्र, नगरीय निकाय का गुमास्ता पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र ।

- (ज) निविदाकार का वित्तीय वर्ष 2014–2015 एवं 2015–2016 में टर्नओवर न्यूनतम रूपये 5,00,000 होना आवश्यक है जिसका प्रमाण पत्र चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करे ।
- (झ) म.प्र.शासन अथवा उसके निगम/मण्डल/बोर्ड द्वारा निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित नहीं करने संबंधी घोषणा । **(परिशिष्ट-3)**
- (ञ) सोल प्रोपराइटी फर्म को छोड़कर, पार्टनरशिप फर्म के किसी पार्टनर द्वारा निविदा प्रस्तुत न करने की दशा में अथवा अन्य प्रकार की संस्था की दशा में निविदा प्रस्तुत करने के लिए अधिकार पत्र ।
- (ट) निकट रिश्तेदार निगम में कार्यरत न होने/होने सम्बन्धी घोषणा ।

**(परिशिष्ट-4)**

3. जिन निविदाकारों की तकनीकी निविदा वांछित अर्हताओं की पूर्ति होगी, उन्हीं निविदाकारों की कामर्शियल बिड खोली जाएगी ।
4. कामर्शियल बिड प्रपत्र **(प्रपत्र-ब)** में दरें अंक एवं शब्दों में प्रस्तुत की जाएगी । यदि अंकों एवं शब्दों की दरों में अंतर पाया जाता है तो जो दर कम लिखी गई होगी उसे ही मान्य किया जाएगा । कामर्शियल बिड प्रपत्र में दरों में कांट छांट मान्य नहीं होगी । विभिन्न गन्तव्यो हेतु गतवर्ष परिवहन की गई सामग्री का संकेतात्मक विवरण **परिशिष्ट-1** पर निविदाकारो की जानकारी हेतु दिया गया है । अनुबंध अवधि में वास्तविक कार्य उक्त से कम अथवा अधिक हो सकता है ।
5. प्रस्तुत निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर सील मुद्रित करना अनिवार्य है ।
6. यदि निविदा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो निविदाकार फर्म/संस्था के स्वामी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को प्रदत्त नोटरीकृत/पंजीकृत मुख्तार नामे की सत्य प्रतिलिपि **लिफाफा "अ"** में प्रस्तुत की जावेगी ।
7. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
8. निविदा निर्धारित प्रपत्र पर एवं निर्देशों/नियमों के तहत प्रस्तुत नहीं करने पर ऐसी निविदाएं निरस्त की जा सकेगी ।

9. भौतिक रूप से तकनीकी बिड एवं कमर्शियल बिड के लिफाफे निगम भण्डार के डिपो कार्यालय सागर पर ही प्राप्त की जावेगी । निविदाएँ **निगम भण्डार**, डिपो कार्यालय सागर में रखे निविदा बाक्स में अथवा डाक द्वारा निर्धारित समय से पूर्व प्रस्तुत करना/जमा करना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी । निर्धारित समय एवं दिनांक के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा ।
10. निविदा के आधार पर निगम द्वारा स्वीकृत दरें कार्य आदेश दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेंगी । अनुबंध अवधि में स्वीकृत दरों में कोई परिवर्तन (सर्विस टैक्स को छोड़कर) नहीं किया जावेगा ।
11. दरें प्रस्तुत करते समय यह ध्यान में रखा जायें कि परिवहन की जा रही सामग्री, डिपो कार्यालय द्वारा चालान में बताए गये प्राप्तकर्ता अधिकृत व्यक्ति/संस्था द्वारा बताए गए स्थान पर ही उतार कर, विहित तरीके अनुसार रखना होगी, जिसके लिए परिवहनकर्ता को पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा ।
- 12.(अ) परिवहन की दरें निगम गोदाम में भण्डारित पुस्तकों के बंडलों की थप्पियों से बंडल/पुस्तकों के उठाने, ट्रकों में लोड करने, गंतव्य स्थान तक परिवहन कर प्राप्तकर्ता के गोदाम में थप्पी लगाने तथा, सभी प्रकार के टैक्स (सर्विस टैक्स छोड़कर), बिल्टी चार्ज एवं अन्य सभी व्ययों सहित प्रति बण्डल (**लगभग 40 किलो ग्राम**), सामग्री 4.50 टन से अधिक किन्तु 9.00 टन से कम क्षमता के ट्रक (हल्के कमर्शियल वाहन) से परिवहन किए जाने हेतु प्रतितन एवं सामग्री 9.00 टन या उससे अधिक क्षमता के ट्रक (कमर्शियल वाहन) से परिवहन किए जाने के लिए प्रतितन के मान से संलग्न निर्धारित प्रपत्र (कामर्शियल बिड फार्म) में दर्शित गन्तव्य शहर के लिए अलग-अलग प्रस्तुत करना होगी ।
- 12.(ब) यदि किन्हीं कारणों से किसी गन्तव्य स्थान से बण्डल वापस डिपो में पहुँचाना हो तो वही दरें मान्य होगी जो डिपो से उस गंतव्य स्थान तक के लिए स्वीकृत है ।
13. निविदाकार को कामर्शियल बिड फार्म: प्रपत्र "ब" में तीनों प्रकार से परिवहन करने हेतु (यथा कॉलम 4, 5 एवं 6) दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

14. परिवहन की जा रही पुस्तकों के बण्डलों की पुस्तकें क्षतिग्रस्त होने अथवा बण्डल क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में क्षतिग्रस्त पुस्तकों के मूल्य की भरपाई अनुबंधित परिवहनकर्ता को करना होगी ।
15. **दर निर्धारण एवं परिवहनकर्ता के चयन की प्रक्रिया :-**  
एक जिले के समस्त गन्तव्यों का परिवहन कार्य एक ही परिवहनकर्ता को आवंटित किए जाने हेतु—
- (i) प्राप्त निविदा में प्रस्तुत न्यूनतम दरें, जो निगम को मान्य हो तथा/अथवा निगम द्वारा तय की गई अन्य दर, के आधार पर सर्वप्रथम निगम द्वारा दरों का निर्धारण किया जायेगा ।
- (ii) प्रत्येक जिले हेतु प्राईम बिडर वह निविदाकार होगा जिसने सामग्री 9.00 टन या उससे अधिक क्षमता के ट्रक (कमर्शियल वाहन) से परिवहन किए जाने हेतु सर्वाधिक गन्तव्यों हेतु न्यूनतम दर प्रस्तुत की हो । यदि एकाधिक निविदाकारों की दरें समान हैं अथवा समान संख्या में गन्तव्यों हेतु न्यूनतम है, तो सामग्री 4.50 टन से अधिक किन्तु 9.00 टन से कम क्षमता के ट्रक (हल्के कमर्शियल वाहन) से परिवहन किए जाने के लिए प्रस्तुत दरों के आधार पर प्राईम बिडर का निर्धारण होगा । इसी प्रकार, यदि उपरोक्त दोनो प्रकार से परिवहन हेतु एकाधिक निविदाकारों की दरें समान हैं अथवा समान गन्तव्यों के लिए न्यूनतम है तो प्रति बंडल की दरों के आधार पर प्राईम बिडर का निर्धारण होगा ।
- (iii) निगम द्वारा ऊपर वर्णित प्रक्रिया अनुसार निर्धारित दरों पर प्राईम बिडर से सहमति प्राप्त करने की कार्यवाही की जावेगी । यदि प्राईम बिडर द्वारा निगम द्वारा निर्धारित दरों पर सहमति नहीं दी जाती है, तो इसके बाद क्रमशः L-2, L-3 आदि निविदाकारों से सहमति प्राप्त की जावेगी ।
16. यदि पुस्तकों के बंडलो का वजन 4.5 टन से कम है, तब भी बण्डलों को निगम के गोदाम से परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर उठाकर गंतव्य स्थान के गोदाम में निर्धारित समय-सीमा में सीधे प्रदाय करना होगा ।

17. विभिन्न गन्तव्यो हेतु निम्न स्थिति में से सामग्री के परिवहन कार्य हेतु दरें प्रस्तुत की जाना है :-
- (क) सामग्री 9.00 टन या उससे अधिक क्षमता के ट्रक (कमर्शियल वाहन) से परिवहन किए जाने की स्थिति में दरे रू..... प्रतिटन में।
- (ख) सामग्री 4.50 टन से अधिक किन्तु 9.00 टन से कम क्षमता के ट्रक (हल्के कमर्शियल वाहन) से परिवहन किए जाने की स्थिति में दरे रू..... प्रतिटन में।
- (ग) सामग्री 4.50 टन से कम क्षमता के वाहन/किसी भी साधन से परिवहन किए जाने की स्थिति में दरे प्रति बंडल के आधार पर (औसत 40 प्रति बंडल) रू..... प्रति बंडल में ।
18. (क) प्रस्थान स्थान से गन्तव्य स्थान तक एक दिवस में परिवहन की गई सामग्री का वजन यदि 4.5 टन से अधिक परंतु 9 टन से कम है, तो ऐसी स्थिति में परिवहन भाड़े का भुगतान कंडिका 17 (ख) में उल्लेखित दरों से किया जावेगा, किन्तु इस प्रकार परिवहन की गई सामग्री के परिवहन भाड़े का भुगतान किसी भी दशा में कंडिका 17 (क) में 9 टन के लिए स्वीकृत दर से परिगणित कुल भाड़े से अधिक नहीं होगा ।
- (ख) प्रस्थान स्थान से गन्तव्य स्थान तक एक दिवस में परिवहन की गई सामग्री का वजन यदि 4.5 टन से कम है, तो ऐसी स्थिति में परिवहन भाड़े का भुगतान कंडिका 17 (ग) में उल्लेखित दरों से किया जावेगा, किन्तु इस प्रकार परिवहन की गई सामग्री के परिवहन भाड़े का भुगतान किसी भी दशा में कंडिका 17 (ख) में 4.5 टन के लिए स्वीकृत दर से परिगणित कुल भाड़े से अधिक नहीं होगा ।
- (ग) परिवहन की गई सामग्री के वजन की गणना, परिवहन किये गये बंडलो की संख्या को एक बंडल के औसत वजन 40 किलो ग्राम से गुणा कर प्राप्त परिगणित वजन के आधार की जाएगी ।



- (घ) परिवहनकर्ता से परिवहन की गई सामग्री के देयक तथा प्राप्तकर्ता अधिकारी की निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद डिपो कार्यालय में प्राप्त होने पर भुगतान किया जावेगा ।
- (ङ) खुली पुस्तकों के परिवहन हेतु 120 पुस्तकों को एक बंडल मानकर तदानुसार प्रति बंडल के मान से स्वीकृत दर पर भुगतान मान्य किया जायेगा ।
19. (i) निगम द्वारा परिवहनकर्ता को माल पहुँचाए जाने की सूचना (दूरभाष पर अथवा लिखित में) दिये जाने के 24 घंटे के भीतर लदान करवाकर निगम द्वारा परिवहन हेतु दिये गये पुस्तकों के बंडलों को निर्धारित गन्तव्य स्थान पर तीन दिन के अन्दर पहुँचाना होगा ।  
निर्धारित समयावधि में पुस्तकों के बण्डल न पहुँचाने की स्थिति में सूचना देने की तिथि से प्रथम 4 दिन तक कुल परिवहन व्यय का 5 प्रतिशत प्रति दिन तथा अगले 8 दिवस तक विलम्ब की अवधि के लिए 10 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से शास्ति आरोपित की जावेगी ।
- (ii) निगम गोदाम से परिवहन हेतु पुस्तकें प्राप्त करने के पश्चात यदि 10 दिवस में परिवहनकर्ता निगम द्वारा निर्देशित गन्तव्य पर सामग्री पहुँचाने में असफल रहता है तो निगम द्वारा पुस्तकों/सामग्री की कीमत की डेढ़ गुना राशि परिवहनकर्ता से वसूल की जाएगी । उक्त कृत्य के परिणामस्वरूप परिवहनकर्ता को भविष्य में निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा/अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।
- (iii) श्रम कानूनो सहित प्रचलित कानूनो का पालन करने का उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता का होगा ।
20. यदि निगम द्वारा आदेशित परिवहन कार्य परिवहनकर्ता द्वारा समय पर नहीं किया जाता तो निगम के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह उक्त कार्य किसी अन्य परिवहनकर्ता से करा ले एवं उक्त पर होने वाले अतिरिक्त समय एवं व्यय की प्रतिपूर्ति डिफाल्टर परिवहनकर्ता से करे ।

21. (i) परिवहन हेतु उपयोग में लाये जा रहे ट्रक आदि का अनुबंध की अवधि तक बीमित तथा चालक वैध आज्ञापित धारी होना चाहिए । परिवहनकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवहन कार्य में उपयोग किये जा रहे वाहनो के कार्यों में किसी भी प्रकार की रूकावट/त्रुटि आने पर परिवहनकर्ता निगम कार्य हेतु वैकल्पिक वाहनो की व्यवस्था तत्काल करेगे ।
- (ii) निगम की पुस्तकों के परिवहन हेतु अधिकृत ट्रक चालकों हेतु अनुबंधित परिवहनकर्ता द्वारा फोटो पहचान पत्र मय मोबाईल नम्बर सहित जारी किये जाएंगे तथा उनके पहचान पत्र की एक प्रति तथा उन्हें कार्य हेतु अधिकृत करने सम्बन्धी पत्र निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
22. डिलेवरी प्राप्त करने वाले अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी की डिलेवरी चालान पर स्पष्ट प्राप्ति, नाम पद एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर होने के पश्चात ही देयको को भुगतान हेतु निगम द्वारा स्वीकार किया जावेगा ।
23. परिवहन की गई सामग्री की प्राप्ति रसीद निगम गोदाम से सामग्री उठाने के आठ दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना होगी ।
24. निविदाकर्ता डिपो से स्वीकृत दरों की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 7 दिवस के अंदर निर्धारित प्रपत्र पर राशि रूपयें 50,000/- (पचास हजार मात्र) की धरोहर राशि जमा कर अनुबंध करना होगा, उक्त राशि में अर्नेस्ट मनी समायोजित की जा सकती है, निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नही करने की दशा में अर्नेस्ट मनी राशि राजसात की जा सकेगी ।
25. अनुबंधित परिवहनकर्ता द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर प्रबंध संचालक उपयुक्त दंड अधिरोपित कर सकेगे जो भुगतानकर्ता को देय राशि एवं धरोहर राशि से वसूली योग्य होगा । इसके अलावा निगम द्वारा अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा ।
26. परिवहन कार्य के भुगतान पर प्रचलित नियम/निर्देशो के अधीन स्त्रौत पर आयकर की कटौती की जावेगी ।

27. परिवहन पर केवल सेवा कर (सर्विस टैक्स), यदि लागू होता है तो, शासन के द्वारा समय-समय पर निर्धारित निर्देशों एवं दर से नियमानुसार देय होगा ।
28. निविदा/निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा ।
29. निगम के लिए यह बंधनकारी नहीं होगा कि वह सम्पूर्ण परिवहन कार्य एक ही निविदाकार को आवंटित करें ।
30. डिपो प्रबंधक एवं परिवहनकर्त्ता के मध्य भुगतान संबंधी विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, म0प्र0 पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।
31. यदि इस निविदा के सम्बंध में अनुबंध सम्पादन में पूर्व कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उक्त हेतु क्षेत्राधिकार माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय, जबलपुर का होगा ।
32. अनुबंध के पश्चात विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर उक्त विवाद के निराकरण हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल को आर्बीटेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 के अर्न्तगत प्रकरण प्रेषित किया जायेगा जिसका निराकरण यथास्थिति या तो वह स्वयं अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति द्वारा किया जावेगा ।

**डिपो प्रबंधक**  
**म0प्र0 पाठ्यपुस्तक निगम**  
**सागर**

शिक्षा सत्र 2016-2017 में विभिन्न गन्तव्यों हेतु परिवहन कराई गई  
पुस्तकों का संकेतात्मक विवरण :-

स. क्र.	परिवहन हेतु गंतव्य स्थान का नाम		फुल ट्रको (9 टन) की संख्या	हाफ ट्रक (4.5 टन) की संख्या	प्रति बंडल (40 किलों) की संख्या
	जिला मुख्यालय	ब्लाक मुख्यालय			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	सागर				
1		सागर	25	5	87
2		वण्डा	12	01	31
3		बीना	09	02	77
4		रहली	13	02	42
5		राहतगढ़	14	01	13
6		जैसीनगर	08	01	22
7		केसली	8	02	27
8		मालथोन	10	03	69
9		देवरी	10	02	31
10		शाहगढ़	07	02	64
11		खुरई	10	02	94
	दमोह				
12		दमोह	19	03	39
13		पथरिया	08	01	74
14		जबेरा	10	01	87
15		तेन्दूखेड़ा	09	01	29
16		पटेरा	08	01	45
17		हटा	08	02	71
18		बटियागढ़	10	01	37

19		परसोरिया	0	0	0
20		गढ़कोटा	0	0	0
	टीकमगढ़				
21		टीकमगढ़	26	04	47
22		बल्देवगढ़	15	02	37
23		पलेरा	12	01	67
24		जतारा	21	01	41
25		पृथ्वीपुर	10	01	61
26		निवाड़ी	13	01	45
	पन्ना				
27		पन्ना	25	03	37
28		गुन्नौर	12	02	34
29		पवई	13	01	53
30		शाहनगर	13	01	19
31		अजयगढ़	09	02	54
32		अमानगंज	0	0	0
33		देवेन्द्र नगर	0	0	0
	छतरपुर				
34		छतरपुर	16	03	67
35		राजनगर	16	01	41
36		नौगांव	15	02	46
37		लौंडी	12	01	63
38		बिजावर	11	01	16
39		बारीगढ़	12	01	59
40		बक्सवाहा	07	01	53
41		बडामलहरा	14	02	17
42	अंतर्दिपो सागर से	भोपाल	0	01	190

43		इन्दौर	0	0	10
44		उज्जैन	0	0	17
45		जबलपुर	1	02	97
46		खण्डवा	0	0	38
47		सिवनी	0	0	04
48		ग्वालियर	01	01	91
49		गुना	0	0	84
50		शहडोल	0	0	35
51		सागर (लोकल)	0	0	0
52		रीवा	0	1	61
53		पन्ना	06	02	77
54		सीधी	0	0	02
55		बुरहानपुर	0	0	03
56		होशंगाबाद	0	0	31
57	अंतर्दिपो पन्ना से	सागर	0	0	0

**-: अनुबंध - प्रारूप :-**

यह अनुबंध डिपो प्रबंधक म0प्र0 पाठ्यपुस्तक निगम डिपो सागर (म.प्र.) जिसे कि आगे चलकर प्रथम पक्षकार कहा गया है तथा मेसर्स ..... परिवहनकर्ता जिसे कि आगे चलकर द्वितीय पक्षकार परिवहनकर्ता कहा गया है, के मध्य प्रथम पक्षकार के भण्डारो से ब्लाक स्तर एवं भण्डार से भण्डार तक पुस्तकों के प्रदाय हेतु दिनांक ..... को दोनो पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया जा रहा है ।

2. **निम्न अभिलेख इस अनुबंध के अभिन्न भाग होंगे :-**

- 2.1 डिपो द्वारा जारी शिक्षा सत्र 2017-2018 हेतु परिवहन कार्य की निविदा नियम एवं शर्तें ।
- 2.2 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदा एवं वार्ता उपरांत प्रस्तुत संशोधित आफर ।
- 2.3 निगम द्वारा जारी कार्यादेश ।

3. अनुबंध के पश्चात विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर उक्त विवाद के निराकरण हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल को आर्बीटेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 के अर्न्तगत प्रकरण प्रेषित किया जायेगा जिसका निराकरण यथास्थिति या तो वह स्वयं अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति द्वारा किया जावेगा ।

डिपो प्रबंधक  
म0प्र0 पाठ्यपुस्तक निगम  
.....

परिवहनकर्ता  
मेसर्स .....  
.....

प्रथम पक्षकार के साक्षीगण 1. .... द्वितीय पक्षकार के साक्षीगण 1. ....  
.....  
प्रथम पक्षकार के साक्षीगण 2. .... द्वितीय पक्षकार के साक्षीगण 2. ....  
.....

**प्रपत्र—“अ” तकनीकी बिड फार्म**  
(लिफाफा “अ” में रखकर जमा करें)  
**म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम डिपो सागर**

प्रति,

डिपो प्रबंधक  
म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम  
डिपो सागर

**विषय :- सत्र 2017-2018 के लिए पाठ्यपुस्तकों के परिवहन कार्य की निविदा की तकनीकी बिड**

-0-

विषयान्तर्गत म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम डिपो सागर द्वारा जारी निविदा की नियम एवं शर्तों के अधीन अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत की जा रही है । निविदा में वांछित अनुसार तकनीकी बिड के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जा रहे हैं:-

1. अर्नेस्ट मनी राशि रू. 25,000/- का हाँ/नहीं  
प्रबंध संचालक, म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम भोपाल  
(ड्रॉफ्ट नं.....) के नाम देय बैंक ड्रॉफ्ट (शर्त क्रमांक 2- क)
2. निविदा प्रपत्र की फीस रू. 570/- का हाँ/नहीं  
प्रबंध संचालक, म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम भोपाल  
बैंक ड्रॉफ्ट/रसीद क्रं- ..... दिनांक .....  
संलग्न करें । (शर्त क्रमांक 2- ख)
3. आयकर विभाग द्वारा निविदाकार फर्म/फर्म हाँ/नहीं  
स्वामी के नाम जारी पेन कार्ड की  
अभिप्रमाणित छायाप्रति (शर्त क्रमांक 2- ग)
4. निविदाकार के नाम जारी सर्विस टैक्स नम्बर हाँ/नहीं  
की जो कि वर्तमान में वैध हो स्व अभिप्रमाणित  
छायाप्रति । (शर्त क्रमांक 2- घ)
5. निविदा में शर्त 2 (ड.) अनुसार वांछित संख्या में हाँ/नहीं  
ट्रकों, न्यूनतम 4 के स्वामित्व, तथा न्यूनतम 6 ट्रक मालिकों से  
अनुबंध जो निविदा दिनांक को वैध हो एवं समस्त ट्रकों के  
रजिस्ट्रेशन की छायाप्रतियां । ट्रकों का विवरण:  
(स्वयं के ट्रकों के अतिरिक्त अन्य वाहन स्वामियों से अनुबंध के  
आधार पर लिये जाने वाले ट्रकों के संबंध में प्रत्येक वाहन स्वामी  
से 500-500 रूपये के स्टांप पर अलग-अलग निष्पादित अनुबंध  
की स्व प्रमाणित छायाप्रतियां ।  
(i) स्वयं के ट्रकों की संख्या .....  
(ii) अनुबंधित ट्रकों की संख्या .....

(शर्त क्रमांक 2- ड.) -14-



6. स्वयं के स्वामित्व एवं अनुबंधित सभी ट्रकों के बीमा, अनुज्ञप्ति, रोड टैक्स, फिटनेस प्रमाण पत्रों की छाया प्रति । (शर्त क्रमांक 2- ड.) हॉ/नहीं
7. निविदाकार के ई.पी.एफ. कार्यालय में रजिस्ट्रेशन की जो कि वर्तमान में वैध हो छायाप्रति । (शर्त क्रमांक 2- च.) हॉ/नहीं
8. निविदाकार संस्था के मालिकाना हक के संबंध में दस्तावेज-निविदाकार संस्था/फर्म का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स/रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में पंजीयन अथवा पार्टनरशिप फर्म होने पर पार्टनरशिप डीडअथवा सोल प्रोप्रायटरी फर्म होने पर स्वयं का घोषणा पत्र एवं नगरीय निकाय में गुमास्ता पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र । (शर्त क्रमांक 2- छ.) हॉ/नहीं
9. निविदाकार संस्था/फर्म का वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-2016 में न्यूनतम रू. 5,00,000 टर्नओवर होने बाबत CA द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र । (शर्त क्रमांक 2- ज.) हॉ/नहीं
10. म.प्र.शासन अथवा उसके निगम/मण्डल के द्वारा निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित न करने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट-3) (शर्त क्रमांक 2- झ.) हॉ/नहीं
11. सोल प्रोप्रायटरी फर्म को छोड़कर, पार्टनरशिप फर्म के किसी पार्टनर द्वारा निविदा प्रस्तुत न करने की दशा में अथवा अन्य प्रकार की संस्था की दशा में निविदा प्रस्तुत करने के लिए अधिकार पत्र । (शर्त क्रमांक 2- ञ.) हॉ/नहीं
12. निकट रिश्तेदार निगम में कार्यरत न होने/होने सम्बंधी का घोषणा (परिशिष्ट-4) (शर्त क्रमांक 2- ट.) हॉ/नहीं

मेरे/हमारे द्वारा निविदा की नियम शर्तें भली भांति पढ़ ली है । उक्त शर्तें एवं नियम मुझे/हमे मान्य एवं स्वीकार है ।

सील एवं हस्ताक्षर  
(निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि )

1. निविदाकार का मोबाईल नम्बर .....
2. ई-मेल .....
3. डाक व्यवहार पता .....

म.प्र.शासन अथवा उसके निगम/मंडल/बोर्ड द्वारा  
निविदा में भाग लेने से वंचित न करने विषयक घोषणा)

(निविदाकार द्वारा लेटर हेड पर तकनिकी बिड  
के साथ प्रस्तुत किया जाना है)

प्रति,

प्रबंध संचालक,  
म0प्र0पाठ्यपुस्तक निगम,  
भोपाल

विषय:- शिक्षा सत्र 2017-18 के परिवहन कार्य की निविदा ।

में, मेसर्स \_\_\_\_\_

(प्रोपराइटर/पार्टनर)\_\_\_\_\_

— यह घोषणा करता हूँ कि हमारी फर्म की म.प्र. शासन/उसके किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय विभाग/सार्वजनिक उपक्रम में वर्तमान में परिवहन कार्य करने हेतु निषेध डिवार नहीं किया हुआ है ।

किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत है तो निगम को बगैर मुझे पूर्व सूचना दिये हुए, न केवल हमारे विरुद्ध निविदा/अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा साथ ही किसी भी वैधानिक कार्यवाही करने भी का निगम को पूर्ण अधिकार होगा ।

दिनांक :-

स्थान :-

निविदाकार के हस्ताक्षर

निकट संबंधी/संबंधियों विषयक घोषणा

मैं ..... आत्मज ..... एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि निविदाकार फर्म, ट्रक के किसी भी मालिक, अधिकृत प्रतिनिधि का कोई भी संबंधी, पाठ्यपुस्तक निगम में कार्यरत नहीं है।

अथवा

मैं..... आत्मज ..... एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि श्री/श्रीमती ..... जो कि निविदाकार फर्म/ट्रक मालिक/अधिकृत प्रतिनिधि के संबंधी है, म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम में कार्यरत हैं।

किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत है तो निगम को बगैर मुझे पूर्व सूचना दिये हुए, मेरे खिलाफ किसी भी वैधानिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

मैं/हम घोषित करते हैं कि उपरोक्त जानकारी सही एवं सत्य है।

स्थान..... निविदाकर्ता/अधिकृत के हस्ताक्षर.....  
दिनांक..... निविदाकर्ता का नाम.....

निविदाकर्ता की मुहर.....

.....टीप:-

निकट संबंधी/संबंधियों से आशय है:-

- (अ) अविभाजित हिन्दु परिवार के सदस्य,
- (ब) वे पति पत्नी है,
- (स) एक दूसरे से इस तरह संबंधित है यथा पिता, माता, पुत्र, पुत्रबध्, पुत्री दामाद, भाई,भाई की पत्नी, बहन, बहनोई।

## प्रपत्र—“ब” कामर्शियल बिड फार्म

(लिफाफा “ब” में सील बंद कर प्रस्तुत करें)

म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम डिपो सागर

प्रति,

डिपो प्रबंधक  
म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम  
डिपो सागर

**विषय :- सत्र 2017-2018 के लिए पाठ्यपुस्तकों के परिवहन कार्य की निविदा की कामर्शियल बिड**

विषयान्तर्गत म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम डिपो कार्यालय सागर द्वारा वर्ष 2017-2018 हेतु पुस्तकों के परिवहन कार्य बाबत निविदा की नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत हमारे/मेरे द्वारा संलग्न प्रपत्र में दरे प्रस्तुत की जा रही है । प्रस्तुत दरों में सर्विस टैक्स सेवाकर को छोड़कर अन्य सभी कर एवं व्यय सम्मिलित है ।

हमारे/मेरे द्वारा जारी निविदा की समस्त नियम एवं शर्तें भली-भांति पढ़ कर समझ ली है तथा उक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं । प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रस्तुत जानकारी सत्य है ।

परिवहन कर्त्ता/ट्रान्सपोर्ट  
कम्पनी का नाम एवं  
सम्पूर्ण पता  
टेलीफोन :-  
मो.नं. :-

परिवहनकर्त्ता/ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के  
अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं  
सील